<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>14-08-2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पूर्ववर्ती मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में 12/8/2025 को लगभग 35 करोड़ रुपये मूल्य की कई चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में हरियाणा के नूंह में संयंत्र और मशीनरी सहित भूमि; राजस्थान के दौसा में संयंत्र और मशीनरी सहित भूमि; और मोहाली में औद्योगिक भूमि और आवासीय भूखंडों की खरीद के लिए अग्रिम राशि शामिल है। ये संपत्तियां पूर्ववर्ती मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के तत्कालीन प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा की उनके पारिवारिक सदस्यों या उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से हैं।

ईडी ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में पूर्ववर्ती मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा के खिलाफ सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड, दूध, आइसक्रीम और विभिन्न डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और व्यापार में लगी हुई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि क्वालिटी लिमिटेड ने अपने पूर्व निदेशकों के माध्यम से बिक्री, खरीद, देनदारों और लेनदारों के बारे में गलत जानकारी देकर खातों में हेराफेरी और जालसाजी की और इस तरह बैंकों के संघ के साथ धोखाधड़ी की। एफआईआर के अनुसार 1400.62 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी हुई है।

ईडी की जाँच से पता चला कि तत्कालीन प्रमोटरों/निदेशकों ने बिक्री और देनदारियों को ज़्यादा दिखाने के लिए खातों में हेराफेरी की थी। फ़ैक्टरी परिसर में माल की वास्तविक भौतिक डिलीवरी या रसीद के बिना ही भारी मात्रा में व्यापार [बिक्री/खरीद] किया गया। यह भी पाया गया कि बैंक के धन को इधर-उधर करने के लिए आरोपित/नकली मालिकों के माध्यम से संचालित फर्जी कंपनियों/फर्मों का इस्तेमाल किया गया था। बताए गए तरीके से इधर-उधर की गई धनराशि को प्रसारित किया गया, स्तरीकृत किया गया ताकि उसका स्रोत छिपाया जा सके और प्रमोटरों के निर्देश पर बैंकों द्वारा गैर स्वीकृत उद्देश्यों के लिए अलग-अलग खातों में भेजा गया।

ईडी ने इससे पहले क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था और करोड़ों रुपये की कई संपत्तियां जब्त की थीं, जिनमें 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और प्रमोटरों द्वारा कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से रखी गई संपत्तियों/बैंक खातों से जुड़े विभिन्न साक्ष्य शामिल थे। इसके अलावा, इस मामले में पहले ही लगभग 450 करोड़ रुपये का एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया जा चुका है। आगे की जांच जारी है।